बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक ..../पटना, दिनांक– ....
06/पणन(स0)–67/2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰),
बिहार, पटना।

विषय :– बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत मगध सब्जी संघ के 12 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु प्रति **PVCS** रू0 1,14,30,561/– (एक करोड़ चौदह लाख तीस हजार पाँच सौ एकसठ) की दर से कुल राशि रू0 13,71,66,732/– (तेरह करोड़ एकहत्तर लाख छियासठ हजार सात सौ बत्तीस) मात्र का वित्तीय वर्ष 2025–26 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :– स्वीकृत।

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत मगध सब्जी संघ के 12 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) में (अतरी, बांकेबाजार, बाराचट्टी, बेलागंज, डोभी, गया सदर, फतेहपुर, शेरघाटी, टनकुप्पा, खिजरसराय, मानपुर, एवं नवादा सदर) आधारभूत संरचना को विकसित करने हेतु प्रति PVCS रू0 1,14,30,561/– (एक करोड़ चौदह लाख तीस हजार पाँच सौ एकसठ) की दर से कुल राशि रू0 13,71,66,732/– (तेरह करोड़ एकहत्तर लाख छियासठ हजार सात सौ बत्तीस) मात्र का वित्तीय वर्ष 2025–26 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत अनुदान, 25 प्रतिशत हिस्सा पूंजी एवं 25 प्रतिशत ऋण के रूप में प्रावधानित है, जो निम्नरूपेणन विकलनीय होगा:–

क्र॰स॰	बजट शीर्ष	स्वीकृत राशि
i.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता, उप शीर्ष–0116 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष–05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण , विपत्र कोड–09–2425001080116	5,76,10,027/–
ii.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0103 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–31 सहायता अनुदान, विषय शीर्ष–05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण, विपत्र कोड–09–2425007890103	1,09,73,339/–
iii.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों में निवेश, उप शीर्ष–0166 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–54 निवेश, विषय शीर्ष–01 निवेश, विपत्र कोड–09–4425001080166	2,88,05,014/–
iv.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–4425 सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0101 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–54 निवेश, विषय शीर्ष–01 निवेश, विपत्र कोड–09–4425007890101	54,86,669/–

v.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–6425 सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–108 अन्य सहकारी समितियों को कर्ज, उप शीर्ष–0120 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–55 ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष–01 ऋण एवं अग्रिम, विपत्र कोड–09–6425001080120	2,88,05,014/–
vi.	मांग संख्या–09 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–6425 सहकारिता के लिए कर्ज, उप मुख्यशीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0101 सब्जी आधारित सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, विस्तृत शीर्ष–55 ऋण एवं अग्रिम, विषय शीर्ष–01 ऋण एवं अग्रिम, विपत्र कोड–09–6425007890101	54,86,669/–
	कुल राशि	**13,71,66,732/–**

3. राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त वित्तीय सहायता का प्रवाह राज्य सरकार/विभाग से वेजफेड, वेजफेड से सब्जी संघ तथा सब्जी संघ से प्राथमिक समितियों के माध्यम से होगा। अनुदान/हिस्सा पूंजी/ऋण मद में राज्य सरकार से जिस अनुपात में वित्तीय सहायता प्राप्त होगी अनुवर्ती उपयोगकर्ता समिति को उसी अनुपात में राशि विमुक्त की जायेगी। संबंधित समिति तदनुसार प्राप्त राशि के विरूद्ध योजना अन्तर्गत कर्णांकित मदवार राशि की अधिसीमा में व्यय करेगी। चयनित समितियों को अगर किसी मद में राशि पूर्व में हस्तांतरित की गई हो तो उस मद की राशि को घटाते हुए कुल शेष राशि हस्तांतरित की जायेगी। इसका अनुपालन संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

4. दिनांक 24.07.2025 को माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन एजेंसी की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 705 दिनांक 27.08.2025 की कार्यावली संख्या 3/2025 के द्वारा नवगठित मगध सब्जी संघ, गयाजी से संबद्ध 12 PVCS में अधारभूत संरचना निर्माण हेतु व्यवसाय से संबंधित मानक को वर्तमान में शिथिल करते हुए प्राप्त प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2025–26 में शामिल करने की अनुशंसा के आलोक में उक्त योजना प्रस्ताव की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ की जाती है कि समितियों को राशि हस्तांतरण के पूर्व प्रबंध निदेशक वेजफेड द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि चयनित PVCS में संतोषजनक व्यवसाय किया जा रहा है।

5. प्रखंड स्तर पर PVCS में आधारभूत संरचना (ग्रामीण मंडी, संग्रहण केन्द्र/Multi Chambered Cold Storage आदि) के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि 10,000 वर्गफीट लीज/सरकारी भूमि PVCS द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। PVCS में आधारभूत संरचना निर्माण हेतु आवश्यक 100X100 वर्ग फीट भूमि उपलब्ध नहीं होने के परिपेक्ष्य में निम्नांकित शर्ते हैः–

- समरूप क्षेत्रफल के भूखण्ड की चौड़ाई न्यूनतम 60 फीट तक होना चाहिए।
- भूखण्ड विवाद रहित होना चाहिए, लीज धारक का दखल कब्जा एवं अवभार मुक्त होना चाहिए।
- भूखण्ड तक पहुँच पथ होनी चाहिए।
- भूखण्ड की गहराई सड़क से 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. निर्माण कार्य हेतु समिति द्वारा कार्य सम्पादन के आधार पर निम्नरूपेण सब्जी संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की सहमति से चार किश्तों में राशि का व्यय किया जा सकेगा–

i निर्माण कार्य हेतु ले–आउट होने के पश्चात् प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन के आलोक में स्वीकृत राशि का अधिकतम 30% राशि।

ii प्लींथ तक कार्य पूरा होने एवं मापी पुस्तिका में प्रविष्टि के उपरांत आवश्यक फोटोप्रमाणक समर्पित किए जाने एवं प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन पर द्वितीय किस्त के रूप में अधिकतम 30% राशि।

iii छत तक कार्य पुरा होने एवं मापी पुस्तिका में प्रविष्टि के उपरांत आवश्यक फोटोप्रमाणक समर्पित किए जाने एवं प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन पर तृतीय किस्त के रूप में अधिकतम 30% राशि।

iv शेष 10% राशि निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् मापी पुस्तिका में प्रविष्टि के उपरांत आवश्यक फोटोप्रमाणक समर्पित किए जाने एवं प्रतिनियुक्त अभियंता के अनुमोदन पर चुतुर्थ किस्त के रूप में finishing के लिए।

7. योजना अन्तर्गत आधारभूत संरचना निर्माण कार्य पूर्ण करने की अधिकत्तम समय–सीमा छः माह की होगी। इसका नियमित निरीक्षण जिला सहकारिता पदाधिकारी, प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित सब्जी संघ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी PVCS में निर्माण कार्य की अद्यत्न प्रगति से आवश्यक फोटों प्रमाणक प्रबंध निदेशक, वेजफेड को नियमित रूप से अवगत करायेंगे।

8. PVCS को सरकारी ऋण के रूप में उपलब्ध करायी गयी राशि की वसूली के संबंध में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लि0, पटना द्वारा तैयार मानक संचालन प्रक्रिया के तहत ऋण वसूली की पूर्ण जिम्मेदारी बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन लि0, पटना का होगा।

9. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे जो उपलब्ध आवंटन के अन्तर्गत राशि की निकासी कर बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना के खाते में स्थानांतरित करेंगे। इसके लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं संकल्प संख्या–7245 दिनांक–26.09.2018 के पत्र का अनुपालन सुनिश्चित करेंगें साथ ही राशि की निकासी एवं व्यय करने में बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अद्यतन अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

11. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा, जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गई है किसी अन्य मद में राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग के पत्रांक 4989/वि0(2) दिनांक 16.05.2013 के आलोक में अंकित तथ्यों का अनुपालन करेंगे। साथ हीं उपर्युक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 18 (अठारह) माह के अंदर प्राप्त कर महालेखाकार, बिहार, पटना को तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ के माध्यम से सहकारिता विभाग को प्राप्त करायेंगे।

13. योजना कार्यान्वयन हेतु प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) का चयन निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना एवं बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना द्वारा किया जायेगा।

14. योजना प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा दिनांक 01.09.2025 की बैठक में प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–06/पणन(स0)–52/2025 के पृष्ठ संख्या 51/टि0 पर दिनांक– 02.09.2025 को प्राप्त है।

16. इस राशि की स्वीकृति हेतु सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या–06/पणन(स0)–52/2025 के पृष्ठ संख्या 52/टि0 पर दिनांक– 02.09.2025 को प्राप्त है।

17. योजना प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, बिहार का अनुमोदन संचिका संख्या 06/पणन(स0)–52/2025 के पृष्ठ संख्या 52A/टि0 पर दिनांक– 03.09.2025 को प्राप्त है।

ह0/–
(अभय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 342 /पटना, दिनांक 04/09/2025
06/पणन(स0)–52/2025

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफे के साथ।

2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा, बिहार, पटना)/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि0, पटना/सचिव, सहकारिता विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव/निबंधक सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03 (बजट) सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/विपत्र लिपिक कार्यालय निबंधक स0स0, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

04.09.25

सरकार के अपर सचिव।